न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 03/2019

शोकत अली आयु 65 वर्ष पुत्र अलादीन जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाउ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. आशिया आयु 70 वर्ष पत्नी मो0 हुसैन जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. मेमुना आयु 37 वर्ष पुत्री मो0 हुसैन, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. मो. आसिफ आयु 40 वर्ष पुत्र मो0 हुसैन, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
4. मो. आवेश आयु 35 वर्ष पुत्र मो0 हुसैन, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
5. मो. फारूक आयु 30 वर्ष पुत्र मो0 हुसैन, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
6. मो0 रफीक आयु 42 वर्ष पुत्र मो0 हुसैन, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 3, बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
7. नायब तहसीलदर, उप तहसील बिसाऊ, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मलसीसर, जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1282 वाके बिसाउ दिनांक 12.02.2019

उपस्थितिः–

1. श्री शिवनारायण सिंह , एडवोकेट ––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार गिल,एडवोकेट ––––––––रेस्पोडेंट नंबर 1 से 6 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––रेस्पोडेन्ट्स नं0 7 व 8 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.12.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाउ बाबत नामान्तरकरण संख्या 1282 दिनांक 12.02.2019 वाके बिसाउ के विरूद्ध [illegible] गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– तहसील मलसीसर [illegible] रकबा 1.27 हैक्टर वाके ग्राम बिसाऊ स्थित है जिसके खातेदार [illegible] मृतक मो0 हुसैन [illegible] मो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

इलियास हैं तथा इस जमीन में उक्त तीनों का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शामिल में है जिसका विक्रय पत्र अकेले अपीलांट के भाई उक्त मो इलियास के नाम से तस्दीक करवाये जाने से यह जमीन पहले अकेल उक्त मो0 इलियास के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ। मृतक मो0 इलियास से पहले इस जमीन का बैयनामा उक्त मो0 हुसैन ने धोखा देकर तथ्यों को छिपाकर किसी अयुब खां पुत्र हिदायत खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बिसाऊ के नाम से तस्दीक करवा लिया तथा उसके तुरन्त बाद ही उक्त अयुब खा से मृतक मो0 हुसैन ने उक्त जमीन का विक्रय पत्र अपने स्वयं के हक में करवाकर इस जमीन को अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिसके बाबत जानकारी होने पर अपीलांट की ओर से एक दावा उनवानी शौकत अली बनाम मो0 हुसैन वगैरह दावा बाबत इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु0 नं0 212/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में किया जो बाद में मलसीसर उपखण्ड स्थापित होने पर अभी उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में विचाराधीन है। उक्त दावा के साथ अपीलांट की ओर से उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0 नं0 97/13 भी प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 28.12.2011 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने भी भूमि खसरा नंबर 455 रकबा 1.27 हैक्टर वाके बिसाऊ के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुये इस भूमि के अपीलांट के उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डालने, बेदखल नहीं करने, विक्रय नहीं करने, किस्म नहीं बदलने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा दिनांक 17.4.2018 को कन्फर्म किया जाकर दौराने दावा विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति दिये जाने का आदेश दिया गया जो प्रभावी है। उक्त स्टे आदेश के प्रभावी रहने व दावा के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 11.12.2018 को प्रतिवादी/मो0 हुसैन की मृत्यु हो गई जिस पर मो0 हुसैन के वारिसान रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 6 ने रेस्पोडेंट नंबर 7 से मिलकर भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 6 ने अपने नाम से दर्ज करवाकर तस्दीक करवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि – उक्तानुसर विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी शौकत अली बनाम मो0 हुसैन मुकदमा नंबर 212/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में लम्बित है। उक्त दावे में दिनांक 28.12.2011 व आदेश दिनांक 17.4.2018 प्रभावी रहे व है तथा उक्त आदेश के अनुसार विवादित जमीन खसरा नंबर 455 रकबा 1.27 हैक्टर वाके ग्राम बिसाउ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के लिए दावा के दौरान पाबन्द किया हुआ है। पक्षकारान के मध्य हक अधिकारी के बाबत अंतिम निर्णय दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

में हो सकेगा। अतः कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदारी की जमीन के सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन हो तो उस जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना कानून से निषेध है। स्थगन आदेश के प्रभावी रहने एवं दावा के विचाराधीन रहते विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस कारण उक्त नामांतरकरण सं0 1282 अवैध व खारिज होने योग्य है। नामांतरकरण जैर बहस के प्रभाव में रहने से रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 6 विवादित जमीन को उक्तानुसार विवाद के चलते किसी अन्य के हक में अंतरित कर सकते हैं या बैक आदि से ऋण सुविधा प्राप्त कर अपीलांट व अन्य सहखातेदार मो0 इलियास को हानि पंहुचा सकते हैं इसलिए नामांतकरण जैर बहस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1282 वाके बिसाऊ दिनांक 12.02.2019 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी शौकत अली बनाम मो0 हुसैन मुकदमा नंबर 212/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर में लम्बित है। उक्त दावें में दिनांक 28.12.2011 व आदेश दिनांक 17.4.2018 प्रभावी रहे व है तथा उक्त आदेश के अनुसार विवादित जमीन खसरा नंबर 455 रकबा 1.27 हैक्टर वाके ग्राम बिसाऊ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के लिए दावा के दौरान पाबन्द किया हुआ है। पक्षकारान के मध्य हक अधिकारों के बाबत अंतिम निर्णय दावा में हो सकेगा। अतः कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदारी की जमीन के सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन हो तो उस जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना कानून से निषेध है। स्थगन आदेश के प्रभावी रहने एवं दावा के विचाराधीन रहते विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस कारण उक्त नामांतरकरण सं0 1282 अवैध व खारिज होने योग्य है। नामांतरकरण जैर बहस के प्रभाव में रहने से रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 6 विवादित जमीन को उक्तानुसार विवाद के चलते किसी अन्य के हक में अंतरित कर सकते हैं या बैक आदि से ऋण सुविधा प्राप्त कर अपीलांट व अन्य सह–खातेदार मो0 इलियास को हानि पंहुचा सकते हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goul
Date: 2023.01.09 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला

इसलिए नामांतकरण जैर बहस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1282 वाके बिसाऊ दिनांक 12.02.2019 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि नायब तहसीलदार बिसाऊ ने मो0 हुसैन की मृत्यु पश्चात् फौतगी नामांतरकरण उसके वारिसान रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 6 के नाम से तस्दीक किया गया है ना की किसी अन्य व्यक्ति के नाम से तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा उक्त नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 ने दौराने बहस कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 1282 मो0 हुसैन की मृत्यु पश्चात् फौतगी नामांतरकरण उसके वारिसान रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 6 के नाम से तस्दीक किया गया है । जहां तक विवादित भूमि के संबंध में हक अधिकारों का प्रश्न है वह दावे में तय होना है। विवादित भूमि पहले मौ0 हुसैन के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा मो0 हुसैन की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है ना कि विक्रय पत्र द्वारा किसी अन्य को अंतरित हुई है। दावे में भी मृतक मो0 हुसैन की जगह कायम मुकाम उसके वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार बिसाउ द्वारा तस्दीक नांमांतरकरण संख्या 1282 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि– विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी शौकत अली बनाम मो0 हुसैन मुकदमा नंबर 212/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर में लम्बित है। उक्त दावें में दिनांक 28.12.2011 व आदेश दिनांक 17.4.2018 प्रभावी रहे व है तथा उक्त आदेश के अनुसार विवादित जमीन खसरा नंबर 455 रकबा 1.27 हैक्टर वाके ग्राम बिसाऊ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के लिए दावा के दौरान पाबन्द किया हुआ है। स्थगन आदेश के प्रभावी रहने एवं दावा के विचाराधीन रहते विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेन्ट ने भी उक्त नामांतरकरण फौतगी के आधार पर ही तस्दीक किया एवं बताया है, उन्होंने भी प्रकरण उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन होने एवं विवादित भूमि के संबंध में मौका एवं रिकार्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

यथास्थिति होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है, जिससे साबित है कि विवादित नामांतरकरण संख्या 1282 दिनांक 12.2.2019 उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के बावजूद नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा तस्दीक किया जाकर रिकार्ड को बदला गया है । पक्षकारान के हक हिस्से का निर्धारण दावे में तय होना है। कानूनन स्थगन आदेश के प्रभावी रहने एवं दावा के विचाराधीन रहते विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरकरण संख्या 1282 दिनांक 12.2.2019 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 1282 दिनांक 12.02.2019 निरस्त किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested